रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक/कुस0/2019/93 जबलपुर, दिनांकः 08.02.19

आदेश

सर्वसंबधितों को निदेर्शित किया जाता है कि लोकपाल स्तर पर प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें,एवं प्रकरणों के संबंध में कार्यालयीन टीप संक्षिप्त सुस्पष्ट एवं नियमानुसार हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाये ।

यदि किसी प्रकरण पर अध्यादेश/परिनियम/अधिनियम के आधार पर टीप दी जाना हो तो अध्यादेश/परिनियम/अधिनियम की मात्र उस कंडिका का ही उल्लेख करें जो प्रकरण से संबंधित हो।

चूँकि लोकपाल महोदय के स्तर पर प्राप्त शिकायतो का निराकरण समय सीमा में ही किया जाना होता है अतः शिकायतो के संबंध में लोकपाल कार्यालय से चाही गई जानकारी को प्राथमिकता देना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें ।

भवदीय

8.2.19

प्रभारी कुलसचिव
रा.दु.वि.वि., जबलपुर

पृ.क्र/कुस0/2019/93 'अ' जबलपुर, दिनांकः 08.02.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष /अधिकारीगण/विभाग प्रमुख रा.दु.वि.वि.जबलपुर, की ओर इस निर्देश के साथ कि अपने अधिनस्थों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अवगत करावें।
2. लोकपाल महोदय के कुलसचिव रा.दु.वि.वि. जबलपुर की ओर इस आशय के साथ कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन व्दारा जारी इस आदेश से लोकपाल महोदय को अवगत करावें।
3. कुलपति जी के निज सहायक रा.दु.वि.वि. जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

8.2.19

प्रभारी कुलसचिव

Scanned by CamScanner